



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी  
प्रेस-नोट

दिनांक:- 20-12-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त को मादक पदार्थ के तस्करी के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 10 माह के कारावास तथा कुल 5000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

थाना-रामनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 13/2024, धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल मिश्रा उर्फ रोहित पुत्र स्व0 महेन्द्र मिश्रा निवासी- पण्डित का पूरवा, थाना-अलीनगर चन्दौली को थाना-रामनगर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 20-12-2024 को मा0 न्यायालय ASJ-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त राहुल मिश्रा उपरोक्त को धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में को 10 माह के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी  
कमिश्नरेट-वाराणसी